8 वादी ओमप्रकाश, भूपलाल S/. हनुमान उर्फ मालिया जाति सांसी नि. चण्डावाली द्वारा प्रा.पत्र 152 CPC पेश करने पर पत्रावली पेश की गई। प्रा.पत्र में चक 7 JDW की 5.060 है. रकबे में केविया दास 1/8 हि. व नानू राम 1/8 हि. को कलमबन्द करने व डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं.1 के नाम से दर्ज करने के आदेश किये जावे।

निर्णय व डिक्री के अवलोकन से पाया गया कि चक 7 JDW के खाता सं. 70/61 की विवादित आराजी वादीगण एवं प्रति. सं.1 को खातेदार काश्तकार (कॉलम नं.) दर्ज करने के आदेश हैं लेकिन त्रुटि सही नहीं होने से केविया व नानू राम का नाम कलमबन्द किया जाना उचित है। संशोधित आदेश जारी है। निर्णय व डिक्री के साथ जमाबंदी में अंकन किया जावे

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़।

ब इजलास श्री सुरेन्द्रसिहं राजपूरोहित आर ए एस

प्रकरण संख्या 147/2017

1– जोतराम | पुत्रगण मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली
2– बृजलाल | तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——— वादीगण

बनाम

1– रेशमी पत्नि स्व. श्री सुलतान पुत्र स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी

जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– बिरखो पत्नि चन्दूराम पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3– मगों पत्नि बल्लूराम पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी चक 15 केएनडी रावला तहसील रावला जिला बीकानेर।

4– गगों पत्नि मगूंराम पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5– शीलो पत्निं मखन पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6– खेतो पत्नि गगांराम पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी 16 चक तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

7– मीरां पत्नि हरीराम पुत्री स्व.श्री मालूराम उर्फ मालिया जाति सांसी निवासी रावला तहसील रावला जिला बीकानेर

8– तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 4/1/18

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता मालूराम उर्फ मालियात व पड़दादा मेविया व चाचा नालू तीनो के नाम से चक

सहायक कलेक्टर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

7 जे डी डब्ल्यु खाता संख्या 70/61 पत्थर नम्बर 75/235किला नम्बर 3 से 8,12 से 25 = 5.0600 हैक्टैयर दर्ज है जो इन्ही के नाम से चला आ रहा है। इस भूमि में मेविया का 1/9,नानू का 1/9, मालू उर्फ मालिया का 7/9 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि के अलावा वादीगण के पिता मालू उर्फ मालिया के नाम से चक 3 जे डी डब्ल्यु खाता संख्या 85/103 पत्थर नम्बर 95/234 किला नम्बर 6/2,11/2, 12 से 14,20,21 में कुल 1.485 हैक्टैयर दर्ज है। मेविया का देहान्त 1984 में हो गया एवं उसके एक मात्र पुत्र जीवन का देहान्त उससे पूर्व हो गया था एवं वादीगण के चाचा नालू का देहान्त सन् 1986 में हो गया था। वादी के पिता ने अपने नाम दर्ज 7/9 हिस्सा भूमि का वसीयतनामा दिनांक 24–12–2012 को वादीगण एवं प्रतिवादीया संख्या 1 के पक्ष में पर्जीबद्व करवा दिया था। वादीगण के पड़दादा मेविया का उक्त भूमि 20 बीघा में 1/9 हिस्सा व चाचा नालू का 1/9 हिस्सा के हिन्दू कानून के अनुसार वादीगण का पिता ही एक मात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी था। इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण भी हिन्दू कानून के अनुसार उनके उक्त हिस्से के एक मात्र उत्तराधिकारी हुए। कुलहम कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण के पिता के नाम से दर्ज 3 जे डी डब्ल्यु जिसकी बाबत वसीयत नहीं करवायी गई थी। इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का बहिस्सा बराबर हक है। चूकिं प्रतिवादगण 2 ता 7 की शादी काफी बड़े व सम्पन्न परिवार में की गई है इसलिए इस कृषि भूमि में उन्होने अपना हक जबानी रूप से त्याग कर दिया है। इसलिए अब उक्त भूमि में एक मात्र वादीगण व प्रतिवादीगण का ही बहिस्सा बराबर का हक घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान कैम्प जण्डावाली में राजीनामा प्रस्तुत किया और वादीगण के वाद को डिग्री किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की। एवं वाद के तथ्यों को साबित करने के लिए एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाने के लिए वादी संख्या 1 जोतराम की साक्ष्य पी डब्ल्यु 1 के रूप में करवायी गई। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी चक 7 जे डी डब्ल्यु, प्रदर्श – 2 जमाबन्दी 3 जे डी डब्ल्यु मृत्यु प्रमाण पत्र मालिया

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर

(3)

प्रदर्श – 3, प्रदर्श – 4 तस्दीक मृत्यु , प्रदर्श – 5 वसीयतनामा दिनांक 24-12-2012 प्रस्तुत की है। चूकिं प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा वादीगण के वाद को स्वीकार किया है और डिग्री किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वाद में कोई विवाद बिन्दू ही नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद डिग्री किया जाना उचित है।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादीगण डिग्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि वाके चक नम्बर 7 जे डी डब्ल्यु खाता संख्या 70/61 पत्थर नम्बर 75/235किला नम्बर 3 से 8,12 से 25 = 5.0600 व चक 3 जे डी डब्ल्यु खाता संख्या 85/103 पत्थर नम्बर 95/234 किला नम्बर 6/2,11/2, 12 से 14,20,21 में कुल 1.485 हैक्टैयर के खातेदार काश्तकार है। इस भूमि का अकंन राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से किया जावे। पर्चा डिग्री इसी अनुसार जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 4/1/18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

संशोधन आदेश दिनांक 9.7.2018

चक 7 J.D.W. खाता सं. 70/61 में दर्ज कुल आराजी 5.0600 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को जरिये डिग्री खातेदार काश्तकार घोषित कर इनके नाम से दर्ज करने के आदेश है। अतः सह-खातेदार मेनिया दादा 1/9 हि० बालू भाई 1/9 हि. का नाम कलमजन किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(7)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवानः–

1–जोतराम पुत्र मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2–बृजलाल पुत्र मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–:वादीगणः–

बनाम

1–रेशमी पत्नि स्व0 श्री सुलतान पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

2–बिरखो पत्नि चन्दूराम पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

3–मगों पत्नि बल्लूराम पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी चक 15 के0एन0जी रावला तहसील रावला जिला बीकानेर।

4–गगो पत्नि मंगूराम पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

5–शीलो पत्नि मखन पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

6–खेतो पत्नि गगाराम पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी 16 चक तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7–मीरा पत्नि हरीराम पुत्री पुत्र स्व0 श्री मालूराम उफ मालिया जाति सांसी निवासी रावला तहसील रावला जिला बीकानेर।

8–तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

–:प्रतिवादीगणः–

वाद सख्याः– 147 सन 2017

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए</u>

आज यह वाद मुझे सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री मनोज शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वाद–वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वके चक नं0 7 जे0डी0डब्ल्यू0 के खाता सं0 70/61 प0न0 75/235 किला न0 3 से 8 – 12 से 25 कुल 5,0600 है0 व चक नं0 3 जे0डी0डब्ल्यू0 के खाता सं0 85/103 प0न0 95/234 किला नं 6/2–11/2–12 से 14–20–21 मे कुल 1,485 है0 के खातेदार काश्तकार है इस भूमि का अकंन राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के नाम से किया जावे उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड म अंकन किया जावे ।

....मुबलिग........

....लीज...

...............बातत...........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..............

......................................से तारीख वसुलयाबी..

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक ..4..–04–2018 से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

P.T.O.

Scanned by CamScanner